झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या...50.......... वर्ष 20..23....

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री सोनू सिंह
ग्रा०- सहिजना रोड, नजदीक सहीजना
भीठ, पो०+ जिला - गढ़वा

DISPOSED बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
26.07.2023	**झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग** **कैम्प कार्यालय, गढ़वा।** **वाद सं0–50/2023** आज दिनांक–26.07.2023 को गढ़वा परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान श्री सोनू सिंह, सामाजिक कार्यकर्त्ता, ग्राम–सहिजना रोड, नजदीक सहीजना मील, पो0+जिला–गढ़वा का परिवाद–पत्र आयोग को उपलब्ध कराया गया। परिवाद–पत्र के साथ गढ़वा जिलान्तर्गत बरडीहा प्रखण्ड के ओबरा पंचायत के लाभुकों की शिकायत सम्बन्धी आवेदन संलग्न है। सुनवाई के दौरन श्री सोनू सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि कांडी प्रखण्ड के जयनगरा पंचायत में कुल–88 लोगों को वर्ष–2016 में मृत घोषित कर दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा अवगत कराया गया कि 06 माह पूर्व सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। विभाग के प्रशासनिक कमियों एवं लापरवाही के कारण जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया था। जाँच में इस बिन्दु की पुष्टि हुई कि गलत कारणों से लाभुकों को मृत घोषित किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा का कहना है कि ऐसे सभी लोगों का जीवित होने का प्रमाण के बाद योग्य लाभुकों का राशन कार्ड बना दिया गया है। ऐसे में आयोग निर्देश देता है कि इस मामले में वर्ष–2016 से अब तक सभी पात्र लोगों, जिनका राशन कार्ड पूर्व में रद्द कर पुनः बना दिया गया है, उन्हें वर्ष–2016 से खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के लापरवाही के कारण लाभुकों को मृत घोषित किया गया था, उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाए। पिछले 18 माह से ओबरा पंचायत में राशन उपलब्ध नहीं कराने का मामला श्री सोनू सिंह द्वारा आयोग के संज्ञान में लाया गया है। हालांकि डीलर के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है, किन्तु प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुए गलती के कारण लाभुकों को उनको देय सरकारी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे में लाभुकगण देय मुआवजा के हकदार हैं। ऐसे में आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को निर्देश देता है कि जिन लाभुकों को 18 माह से राशन नहीं मिला है, उन्हें सवा गुणा मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराएँ। माह नवंबर एवं दिसम्बर, 2023 का भी राशन लाभुकों को उपलब्ध नहीं कराया गया है, इस मामले में भी सवा गुणा मुआवजा जोड़ कर राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को निर्देश देता है कि	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

उपरोक्त दोनों पंचायत के अलावे जिन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो ऐसे में विलंब से राशन उपलब्ध कराने के समय सवा गुणा मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराया जाए।

श्री सोनू सिंह द्वारा आयोग से आग्रह किया गया कि गंभीर बिमारी होने पर लाभुकों के राशन कार्ड बनाने एवं नाम में सुधार करने का अधिकार जिले के अधिकारियों को दिया जाए, ताकि लाभुकों को सुविधा हो सके। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार किया जाएगा।

श्री सोनू सिंह द्वारा आयोग से यह भी आग्रह किया गया कि टोल फ्री अथवा आयोग का वाट्सएप्प नं0 जिले के सभी राशन डीलर के दुकानों के बाहर अंकित किया जाए। साथ ही निगरानी समिति का गठन विभाग द्वारा किया गया है, समिति के कार्यों की स्थिति की निगरानी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनवितरण प्रणाली केन्द्र, विद्यालयों में एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा हर पंचायत में आयोग का वाट्सएप्प नं0 अंकित कराया जाए, ताकि लाभुकगण कठिनाई होने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। निगरानी समिति को active कराने का निदेश अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को दिया गया।

इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।